

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 26/09/2013

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री का आवेदन।

श्री/श्रीमती/सुश्री (वरे) का

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री के दिनांक: 12/09/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में प्रमाणित) से अंतरण द्वारा दिनांक: 24/09/2013 को प्राप्त) को सी.एम. प्रभाग को अद्योषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अद्योषित/अंतरित कर दिया जाये।

प्रमाणित

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: / /2013 की रसीद के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

प्रमाणित उपरि

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (सी.एम.टी.)

गृह मंत्रालय

(नदीतील) म, अधि. वि. वि.

नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री

श्री/श्रीमती/सुश्री (वरे)

गलियारें 3 प्रेस वि. वि. सामंत

प्रमाणित (प्रमाणित)

TOCDM
30/9

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

C. 168879/H4/B

2009 प्रधान मंत्री कार्यालय

सूचना का अधिकार

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/4597/2013-पीएमआर

दिनांक: 19/09/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री राजीव कुमार खरे से प्राप्त दिनांक 12.09.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 17.9.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

MS-4
20
23/9

JS/A)

VII/10/9/
(सैयद इकराम रिज़वी)

उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
✓ नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री राजीव कुमार खरे
गली नं0 3 प्रेमबिहार कालोनी
प्रेमनगर सतना
मध्य प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक
प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

23/9/13

JS(E)

5473/RTI/2013
23/9/13

MS (RTI)

23/9/13
JS/A)

50(RTI)
24/9

4597/13-18 Set-13

4597/13

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत

1. आवेदक का नाम — राजीव कुमार खरे
2. पूरा पता / ई-मेल / फ़ैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना हो राजीव कुमार खरे (एड्डो) निवास — गली नं०-3 प्रेमबिहार कालोनी प्रेमनगर सतना 80930
3. दूरभाष क्रमांक मो०नं०-09827590823
4. आवेदन देने का दिनांक 12/9/13
5. कार्यालय का नाम केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय खास्य ब्लाक नई दिल्ली 110011
6. चाही गयी जानकारी का विवरण 1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मापदंडों के अनुसार किन किन राज्यों में आपदा राहत बल गाहते हैं तथा म्याम.पु में भी गाहते हैं। म.पु में किली प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए म्या प्रावधान हैं।
2) राष्ट्रीय आपदा को रोकने हेतु म्या के सरकार द्वारा राज्यों को प्रविष्टि को रशि दी जाती है यदि है नच 2012-13, 13-14 में किती रशि दी गई अथवा राज्यों का प्रथक सेकोरे रशि हेतु आपनी रशि एकत होती है।
7. क्या चाहते है नकल / निरीक्षण / रिकार्ड का निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना! जानकारी प्रदान को
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीस — रूपये 10 / नगद / स्टाम्प (बी०पी०ए० सूची सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र०— एवं दिनांक पोस्टल आर्डर / स्टाम्प क्र०— 05F 539804 दि 12/9/13
9. क्या आवेदक गरीबी रखा के नीचे है अथवा नहीं, हाँ / नहीं यदि हाँ तो बी०पी०ए० सूची का अनुक्रमांक

Rajiv
हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप — यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर 5/-रूपये स्टाम्प चरपा करते हुए रजिस्टर्ड / यू०पी०सी० / डाक काय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ है लिफाफा संलग्न करें। (बी०पी०ए० सूची के सदस्यों को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के सम्यं में आयोग कार्यालय हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. सम्बंधित शाखा / अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी


11942
17/09/13
22/09/13

IPo No. 05F 539804 ₹ ₹ 10/-

प्राप्तकला के हस्ताक्षर
(लोक सूचना अधिकारी / सहायक
लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
पदनाम (रबर सील)
दिनांक -

3828423

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)



तृतीय तल, एन.डी.सी.सी- II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 4 अक्टूबर, 2013

सेवा में,

श्री राजीव कुमार खरे,
गली नं.3 प्रेमबिहार कालोनी,
प्रेमनगर, सतना
मध्यप्रदेश - 485000

08 OCT 2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 30.09.13 को प्राप्त अपने दिनांक 12.09.13 के आर.टी.आई. आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगी गई हैं।

2. उक्त सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि मांगी गई सूचनाएं इस विभाग से संबंधित नहीं हैं। क्योंकि मांगी गई सूचना का संबंध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा डी.एम.- III विभाग से है। अतः आवेदन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा डी.एम.- III विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे उपर्युक्त विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल- 'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.- II भवन,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

जी घोष

(गौतम घोष)

उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम- I)
टेलीफोन-23438123

ej/c

प्रतिलिपि संलग्नको सहित निम्नलिखित को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव,
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
एन.डी.एम.ए. भवन,
ए-1, सफदरजंग इन्क्लेव,
नई दिल्ली
2. श्री संजय अग्रवाल,
निदेशक एवं सी.पी.आई.ओ.
डी.एम- III विभाग, डी.एम.प्रभाग,
तृतीय तल, एन.डी.सी.सी- II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।

उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पर तुरंत कार्यवाई कर प्रार्थी को सीधे सूचना उपलब्ध कराये और उसकी एक प्रतिलिपि इस मंत्रालय को भी भेजने का श्रम करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:-

आर.टी.आई. (श्री एस. सामंत, अवर सचिव), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या 43020/01/2013-आर.टी.आई. दिनांक 26.09.13)।